प्रकरण संख्या 07/2019 2019/00070 तारीख रजु–20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. रमेश पुत्र हीरालाल निवासी दीपपुरा जिला करौली
2. रमेशी पुत्री हीरालाल पत्नि हरजीत निवासी बालौती ग्राम पंचायत बालौती ग्राम पंचायत बालौती तहसील सपोटरा जिला करौली
3. कंचनबाई पुत्री हीरालाल पत्नि श्यामलाल निवासी बालौती ग्राम पंचायत बालौती तहसील सपोटरा जिला करौली
4. ब्रह्माबाई पुत्री हीरालाल पत्नि राजमल निवासी पाटौरन ग्राम पंचायत बीसलपुर तहसील करौली जिला करौली

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–31.07.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार करौली ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 1399 रकबा 0–11 बीघा ग्राम दीपपुरा तहसील करौली का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर खसरा नंबर 1399 रकबा 0–11 बीघा ग्राम मांची सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरण संख्या 407 से किस्म बारानी–3 से श्री हीरालाल पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी दीपपुरा के नाम जरिये आवंटन से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 (नवीन ग्राम दीपपुरा) तक में जरिये विरासत श्री रमेश पुत्र हीरालाल, रमेशी, कंचनबाई, ब्रह्माबाई पुत्रियां हीरालाल जाति मीना निवासी दीपपुरा तहसील करौली जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर खसरा नंबर 1399 रकबा 0–11 बीघा ग्राम दीपपुरा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2073–76 नामांतरकरण संख्या 407 दिनांक 25.12.1985, 117 दिनांक 21.06.1999, 485 दिनांक 20.07.2015 नामांतरकरण संख्या 987 दिनांक 12.03.1986 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार करौली के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

वकील अप्रार्थी नं. 4 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं. 1399 रकबा 11 विस्वा गैर मुमकिन नाला ग्राम दीपपुरा में स्थित था वर्तमान में नाले का कोई अस्तित्व नहीं बचा है जो नियमानुसार प्रार्थी के पिता हीरालाल मीना के नाम खातेदारी हो

जिला कलक्टर
करौली

चुकी है जिसको काफी लम्बा समय हो चुका है क्योकि सेटिलमेन्ट के समय उक्त नाला अस्तित्व में नहीं था प्रार्थी के पिता का ही उक्त खसरा नं. पर काबिज काश्त था। अंत में रेफरेन्स को खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी नं. 1 ता 3 तथा अप्रार्थी नं. 4 का एक ही वकील है। अतः वकील अप्रार्थी नं. 1 ता 3 ने अप्रार्थी नं. 4 के जवाब को ही अप्रार्थी नं. 1 ता 3 की ओर से भी माने जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर खसरा नंबर 1399 रकबा 0–11 बीघा ग्राम मांची (नवीन ग्राम दीपपुरा) सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै. मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरण संख्या 407 से किस्म बारानी–3 से श्री हीरालाल पुत्र गंगाधर जाति मीना के नाम जरिये आवंटन दर्ज कर दिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थीगण का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नं. 1399 रकबा 11 विस्वा गैर मुमकिन नाला ग्राम दीपपुरा में स्थित था। वर्तमान में नाले का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उक्त खसरा नं. की प्रार्थी के पिता हीरालाल मीना के नाम नियमानुसार खातेदारी हो चुकी है जिसको काफी लम्बा समय हो चुका है। सेटिलमेन्ट के समय उक्त नाला अस्तित्व में नहीं था। प्रार्थी के पिता का ही उक्त खसरा नं. पर काबिज काश्त था। अंत में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर खसरा नंबर 1399 रकबा 0–11 बीघा ग्राम मांची (नवीन ग्राम दीपपुरा) गै0 मु0 नाला दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 407 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 1399 रकबा 0–11 बीघा श्री हीरालाल पुत्र गंगाधर जाति मीना के नाम दिनांक 25.12.1985 को स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं0 2073 लगायत 2076 के अनुसार खसरा नंबर 1399 किस्म बारानी–3 रकबा 0–11 बीघा श्री रमेश पुत्र हीरालाल, रमेशी, कंचनबाई, ब्रह्माबाई पुत्रियां हीरालाल जाति मीना निवासी दीपपुरा अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै0 मु0 नाला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय के अनुसार हम इस प्रकरण में वर्णित भूमि आराजी खसरा नंबर 1399 रकबा 0–11 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाला दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

जिला कलक्टर

अतः भूमिधारी तहसीलदार करौली का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम मांची (नवीन ग्राम दीपपुरा) की आराजी खसरा नंबर 1399 रकबा 0–11 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
करौली